न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–55/2016–17

राज्य बनाम गुलाबचन्द यादव ग्राम–कुन्दा।

क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3.10.25	–:आदेश:– अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जमाबंदी रैयत/उनके वंशज द्वारा अपने जमाबंदी के पक्ष में दिये गये राजस्व रसीद आदि का जांच किया गया। जमाबंदीदार द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं जांचोपरांत स्पष्ट होता है कि जमाबंदीदार को दिन. ांक–26.02.2020, 08.04.2025 एवं 21.05.2025 को नाटिश निर्गत किया गया, परन्तु जमाबंदीदार अपने पते पर नही रहते है बिना तामिला के नोटिश वापस प्राप्त हुआ। पुनः 21.05.2025 को आम इस्तेहार निर्गत किया गया आम इस्तेहार तामिला के उपरांत भी जमाबंदीदार उपस्थित नही हुए। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऑनलाईन पंजी में संदेहात्मक दर्ज है, किसी का नाम मिटाकर दुसरे स्याही से नाम चढाया गया है। भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं किस्म जंगल है। प्रथम सरकारी रसीद वर्ष–1997–98 में निर्गत है एवं द्वितीय रसीद ऑनलाईन में 1998–99 से 2021–22 तक का निर्गत है। गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल–झाडी पंजी II के पृष्ट सं0 118/1 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलंग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत के नाम से वर्ष–2003–04 में जमाबंदी कायम की गई है। जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।	

Scanned with OKEN Scanner

विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्र. तिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षतिकारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् मौजा– कुन्दा थाना नं0, 145 खाता नं0, 111 प्लॉट नं0, 985 रकवा 0.34 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 187/1 पर गुलाबचन्द यादव ग्राम–कुन्दा के नाम कायम है, की जमा. बंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

3.10.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

3.10.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.10.15 16:46:48 +05:30
Location: 10.84.229.90

Scanned with OKEN Scanner